



उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 110/2026/532/आठ-1-26-1950807
लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-109/2026/525/आठ-1-26/1950807, दिनांक 07.05.2026 द्वारा लखनऊ शहर के ग्राम बाघामऊ एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्र में जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वर्षा जल की निकासी हेतु गोमती नदी के निकट 400 केओएलओ क्षमता के फ्लड पम्पिंग स्टेशन का निर्माण एवं 5 वर्षों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन के कार्य संबंधी परियोजना की अनुवर्ती किश्त की धनराशि ₹0 426.41 लाख अनुदान संख्या-002 लेखाशीर्षक 42176080005 से अवमुक्त की गयी है। त्रुटिवश उक्त लेखाशीर्षक के साथ मद संख्या-24-वृहद निर्माण कार्य मद अंकित करना छूट गया है।

2- अतः शासनादेश संख्या-109/2026/525/आठ-1-26/1950807, दिनांक 07.05.2026 के प्रस्तर-2 में अनुदान संख्या-002 लेखाशीर्षक 4217608000500 मद संख्या-24-वृहद निर्माण कार्य मद पढ़ा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश दिनांक 07.05.2026 इस सीमा तक एतद्वारा संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 07.05.2026 के शेष प्राविधान व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या:110/2026/532(1)/आठ-1-26/1950807. तहनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. सचिव/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आईओएफओएसओसीओ कोड की सूचना ईमेल आईडीओ ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
12. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
13. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
14. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।